संख्या-30/2023/388507/2023/63-व0उ0-2023

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0,कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2023**

विषयः उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 के 12 कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 के पत्रांक-74/लेख/2023-24 दिनांक 28.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू किये जाने हेतु संलग्न सूची के अनुसार 12 कार्मिकों के लिये रू0 1,44,10,670.00 (रू0 एक करोड़ चैवालिस लाख दस हजार छः सौ सत्तर मात्र) ब्याज रहित ऋण के रूप मे इस शर्त के साथ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त कार्मिकों मे से जिन कार्मिकों के विरूद्ध गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही आदि प्रचलित है, उनको वी0आर0एस0 की सुविधा नहीं दी जायेगी। उक्त धनराशि का आहरण कर उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कर्मचारियों को वी0आर0एस0 की स्वीकृति/धनराशि की गणना सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त कर्मचारी सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अन्तर्गत वी0आर0एस0 सुविधा के पात्र हैं।

ऋण की शर्ते निम्नवत हंै:-

(1)- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा भुगतान की प्रगति से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(2)- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप निगम का जितना दायित्व कम होगा उसका कम से कम 50प्रतिशत अंश की धनराशि ऋण की वापसी हेतु हथकरघा निगम द्वारा शासन को भुगतान किया जायेगा।

(3)- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर द्वारा ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार, राजकीय कार्यालय महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि एवं लेखा शीर्षक अंकित करते हुए भेजेंगे। हथकरघा निगम जब भी किश्तों का भुगतान करें इसकी सूचना वे महालेखाकार कार्यालय को निम्नलिखित प्रारूप में अवश्य भेजेंगे:-

(I)- कोषागार का नाम .....

(II)- चालान संख्या व दिनांक .....

(III)- जमा धनराशि रू0 .....किश्त .....ब्याज .....

(IV)- लेखाशीर्षक जिसके तहत जमा किया गया .....

(V)- शासनादेश संख्या .....एल0एम0आर0 का सन्दर्भ.....

(VI)- पिछले जमा का सन्दर्भ .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाँठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करायें।

(5)- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है।

(6)- उपरोक्त ऋण के सन्दर्भ में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर को शासन के साथ एक अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर निष्पादित करना होगा जिसमें ऋण की समस्त शर्तो का उल्लेख होगा।

(7)- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप जो पद रिक्त होंगे उनमंे भविष्य में कभी भी भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ऐसे पदों को कर्मचारी/अधिकारी की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ग्रहण करने की तिथि से समाप्त घोषित कर दिया जायेगा।

(8)- यदि स्वीकृत राशि से देयता में वृद्धि होती है तो उसका व्यय भार निगम द्वारा अपने संसाधनो से वहन किया जायेगा तथा शासन द्वारा इस हेतु अतिरिक्त सहायता नहीं दी जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तांे का अनुपालन निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वित्त नियन्त्रक/लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 1,44,10,670.00 (रू0 एक करोड़ चैवालिस लाख दस हजार छः सौ सत्तर मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के अधीन लेखाशीर्षक-''6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-आयोजनेतर-800-अन्य कर्ज-03 रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण'' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-30/2023/388507/2023(1)/63-व0उ0-2023 तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक/लेखाधिकारी उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर।
6- विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।